

Date: 20.10.2022

No.: PRYJ(W) EN/RTI/49-(Vol-IV)/2977

एस. के. पाण्डा
जे.जी.एम/एडमिन (सी.पी.आई.ओ.)
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.
नई दिल्ली।


विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री देवनारायण के द्वारा वांछित सूचना के सम्बन्ध में।

संदर्भ: प्रधान कार्यालय पत्रांक 2022/HQ/ADMIN/RTI-1286 दिनांक 04.10.2022।

महोदय,

विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में आवेदक श्री देवनारायण द्वारा वांछित सूचना सम्बन्धित अधिकारी को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत हस्तान्तरित की गयी थी, उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर प्रार्थी की वांछित सूचना का विवरण बिन्दुवार निम्नलिखित है:-

1. बिन्दु संख्या 1 रेलवे विभाग द्वारा समपार संख्या 56 (मलवां स्टेशन के पास पावर हाउस के बगल) पर पूर्व में अवस्थित विद्यमान सड़क पर रोड अन्डर ब्रिज बनाया गया है। इसके लिए रेलवे विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण नहीं की गयी है।
2. बिन्दु संख्या 2 रेलवे विभाग द्वारा अण्डर पास पुल के निर्माण के अतिरिक्त पुल के बाहर कोई सड़क निर्माण नहीं किया गया है।
3. बिन्दु संख्या 3 रेलवे विभाग द्वारा अण्डर पास पुल के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं की गयी है।
4. बिन्दु संख्या 4 रेलवे विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का न ही अधिग्रहण किया गया है एवं न ही कोई भी अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी कार्यवाही की गयी है।
5. बिन्दु संख्या 5 नहीं है।
6. बिन्दु संख्या 6 220 केवी ट्रांसमिशन पावन हाउस मलवां फतेहपुर को अतिक्रमण से सम्बन्धित धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है।

 20.10.22
(अजीत कुमार सिंह)

उप परि० प्र०/ए.पी.आई.ओ.
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.
प्रयागराज (पश्चिम)

तिलिपि: (1)महाप्रबंधक (समन्वय)/प्रयागराज (पश्चिम), को सादर सूचनार्थ।
(2)उप मुख्य परि० प्र०/अभि०/प्रयागराज (पश्चिम), को सादर सूचनार्थ।